प्रारूप सं**0 30** FORM – I

(For linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 228/XXVI - 44 (2018-19)

Dated .0.8 02 2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.2795 hact. of forest land proposed to be deverted in favour of Public Works Department, Kirtiangar for Construction of Maletha Gwar Tola Motor Road to Semwal Gaon Motor road in Tehri Garhwal District falls within jurisdiction of Semwal Gaon Village in Kirtinagar tehsils.

It is further certified that:

- a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire 0.2795 Hac. of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

प्रतिहस्तासरित

Distantion

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of (सोनिका)

I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in Kirtinagar Block area measuring 0.2795 Hectare for the construction of Construction of Maletha Gwar Tola Motor Road to Semwal Gaon Motor Road in Tehsil Kirtinagar of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of Kirtinagar Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

District Collector Cana chairman

District Tehri Garhwal New Tehri It is further certified that – Minutes of meeting of Maletha-Gwar-Tola Motor road to Semwal Gaon Motor Road (1.500 KM) regarding FRA is as following.

Sr. No.	THE RESERVE TO BE STORED TO SERVE THE RESERVE THE RESE	Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.2795 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला प्रचारी तरस्य जिला प्रचारत सहस्य कीर्तन टिहरी गढवाला

जिला समाज कल्याण अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी बिह्हरी, गढ्वाल इवल

प्रमानीय व्यमीक्षिकरीरी वरेन्द्रनगर वन प्रधान मनि-की-रेली

प्रतिहस्ताक्षरित

जिनाधिकारी जीवाधिकारी जीवाधिकारी जीवाधिकारी

Distt. Colector

प्रारूप सं0 - 1.90

भू—अर्जन प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत का नाम — . तहसील कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना विवरण :-

राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा देवप्रयाग में विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत मलेथा ग्वाड़टोला मोटर मार्ग से सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

स्वीकृति सन्दर्भ :-

संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 382 / 111(2) / 17—10 (एम0 एल 0 ए०) / 2017 दिनां क 01.08.2017

विधान सभा देवप्रयाग के विकास खण्ड़ देवप्रयाग के अन्तर्गत मलेथा ग्वाड़टोला मोटर मार्ग से सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग 1.500 कि0मी० हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष गांव वालों की सहमति पर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

प्रखण्ड़ टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत मलेथा ग्वाड़टोला मोटर मार्ग से सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिये 0.8050 है0 नाप भूमि, 0.2795 है0 में सिविल वन भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, 0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, अर्थात कुल 0.2795 हे0 का अस्थाई खण्ड़ लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकी नाप भूमि 0.8050 है0 ग्राम पंचायत सेमवालगांव के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोकता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

राजस्य उपनिरीक्षक

राजस्य उपनिरीक्षक दोत्र- मलेप्पा तहसील-कीर्तिकगर जिला-टि० ग० (उस्तर HO (CO TO)

ख्येजिलाधिकारी कीर्तिनगर टि०ग० क्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल

> जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत मलेथा ग्वाड़ टोला मोटर मार्ग से सेमवालगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 1.500 कि0मी0)।

> कार्यालय उप जिलाधिकारी अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत कीर्तिनगर के अन्तर्गत मलेथा ग्वाड़ टोला मोटर मार्ग से सेमवालगांव तक मोटर मार्ग (मून्य हे० आरक्षित वन भूमि०२७१८ हे० सिविल सोयम भूमि,ऋचवन पंचायत भूमि) अर्थात कुल०२०१८ हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सिमिति, (तहसील कीर्तिनगर) की दिनांक

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री जनहरा पाल , उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	अनुराद्धा पाल	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	की डो. पी. कलानी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री राजीत सिंह वत्त्रील	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4-	श्री विजयासिंह रावत	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य
1867			

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मलेथा ग्वाड़ टोला मोटर मार्ग से सेमवालगांव तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 62795 हैं वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, उपप्राण उप वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड किरिक्सिस् परिक्षेत्र के मलेथा ग्वाड़ टोला मोटर मार्ग से सेमवालगांव तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु • २७७ हैं वन भूमि लेकि निर्माण विमाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

कोर्तिनगर टि०ग० उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- टिइग्रे ग्रह्माल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, **टिहरी गढकाल** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सिलिधिकारी अध्यक्ष कार्तनगर टि०ग० उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— किटिनगर

जनपद.....

परियोजना का नाम :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत मलेथा ग्वाड़ टोला मोटर मार्ग से सेमवालगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 1.500 कि0मी0)।

दिनांक उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति जनपद—

1.	श्री अनुराद्या पाल	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	उप जिलाधिकारी
2.	श्री डी.पी. वलीनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	कीर्तिनगर टि०ग०
3.	श्रीयण जिलासहकला	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	hur
4.	श्री विज्ञासिंह रावत	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	सदस्य क्षेत्र पचास्ति अलेखा अलेखा

परियोजना का नाम :-

जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत मलेथा ग्वाड टोला मोटर मार्ग से सेमवालगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 1.500 कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - सेमवालगांव तहसील न्क्रीरिनगर जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत मलेथा ग्वाड़ टोला मोटर मार्ग से सेमवालगांव तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.2795 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.2795 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सेमवालगांव द्वारा दिनांक 15 09 2018 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेत् विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रने मुंबाल शाब्द के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेत् दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान



दिनांक 15/09/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत का नाम — सेमवालगांव

क्माक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	girly fraces sto Ego - 2 34vl Smous	SAM
2	Day ms Amares Glo Fee ne 291 (PG)	carayma
3-	राकेम् कुमार सिमवाल व व	Best
U-	स्मनारामण ।। इसकराममरीमा सम्मवाक	Germiner
5.	भगदीय प्राडि एक भटनामड	Gorday Grug
6-	र्मार रामकवाडी (अंगान-क्रिकार)	22145
7-		१ के पर राज्य स्वराही
8-	cuty of the sharper of	MAMA
9-	विकाशहन कर राम श्रीवासमार के	
10	they ins me she far all- Albus	Light Grand
11	भगोग डामे वर्ण श्री किए रामे प्रमार	NO.
12	this cries and 80 too sakin me	ने सुरगता
13	Wieg ones wit so pro farmers	- Sheuman she
4)		
14		Harman
	नामन्द दश सम्बद्धा	Hayen
		Hayleen
	नाभन्द दिश द्विमवर्षि	Hayleen
	नाभन्द दिश द्विमवर्षि	Hayleen

